सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 4, सोमवार, शाके 1935–मार्च 25, 2013 *Chaitra 4, Monday, Saka 1935–March 25, 2013*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2013

संख्या प. 2 (2) विधि/2/2013:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 8)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 है।

(2) यह 10 दिसम्बर, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (1) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक में, अन्त में आये विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि अभियांत्रिकी और स्थापत्यकला संकाय में शिक्षण पदों के लिए चयन समिति में काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से सिंडीकेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 25, 2013

No. F. 2 (2) Vidhi/2/2013.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the

following translation in the English language of the Rajasthan Vishwavidhyalayon Ke Adhyapak Tatha Adhikari (Niyukti ke Liye Chayan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) ACT, 2013

(Act No. 8 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 23rd day of March, 2013]

An

Act

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 10th December, 2012.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 18 of 1974.- In the existing sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974(Act No. 18 of 1974), hereinafter referred to in this Act as the principal Act,**-**

(i) in second proviso, for the punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation " : " shall be substituted; and

(ii) after the second proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:**-**

" Provided also that the Selection Committee for teaching posts in the faculty of Engineering and Architecture shall also include an expert to be nominated by the Syndicate out of a panel of names recommended by the Council of Architecture.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 13 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be to have been done taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press, Jaipur.